राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 597/2011

1. श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा
2. श्री देवकीनंदन पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा
3. श्रीमती सुनिता पुत्री स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा
4. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा
5. श्रीमती ब्रजलता पुत्री स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कलेक्टर (L.R.), भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.03.2011
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी (मृत्तक) के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रतिनिधि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी और शामिल मिसल कर उसे रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी (मृत्तक) ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर देय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.1975 से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.01.1985, 29.03.1985 एवं 23.01.1989 के अंतर्गत चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.1969 से दिया जावे तथा द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अंतर्गत प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें, जिसमें अपीलार्थी (मृत्तक) को पटवारी परीक्षा में छूट का लाभ देते हुए उक्त चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी (मृत्तक) की नियुक्ति राजकीय सेवा में दिनांक 01.11.1960 को हुई थी और पटवारी के पद पर अपीलार्थी (मृत्तक) को जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा लगाया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 14.07.1995 द्वारा अपीलार्थी (मृत्तक) को पटवार परीक्षा से छूट प्रदान की गई थी और अपीलार्थी (मृत्तक) दिनांक 30.09.1995 को पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हो गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.01.1985, 29.03.1985 एवं 23.01.1989 के द्वारा 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया और अपीलार्थी (मृत्तक) की 15 वर्ष की सेवाएं दिनांक 01.11.1975 को पूर्ण हुई, परंतु अपीलार्थी (मृत्तक) को उक्त चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त लाभ प्रदान किया गया और इसी प्रकार आदेश दिनांक 25.01.1992 के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी (मृत्तक) दिनांक 01.11.1969 को 9 वर्ष की सेवाएं तथा वर्ष 1978 को एवं वर्ष 1987 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका था और तीनों चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी था। परंतु अपीलार्थी (मृत्तक) को उक्त लाभों से वंचित रखा गया। अपीलार्थी (मृत्तक) ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया और अंत में अपीलार्थी (मृत्तक) ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर देय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.1975 से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.01.1985, 29.03.1985 एवं 23.01.1989 के अंतर्गत चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.11.1969 से दिया जावे तथा द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अंतर्गत प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें, जिसमें अपीलार्थी (मृत्तक) को पटवारी परीक्षा में छूट का लाभ देते हुए उक्त चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी (मृत्तक) को नियमानुसार विभाग द्वारा समस्त वेतन लाभ आदि समय–समय पर प्रदान किए गए हैं। अपीलार्थी (मृत्तक) को नियमानुसार समस्त लाभ प्रदान किए गए हैं। अपीलार्थी (मृत्तक) द्वारा चाहा गया अनुतोष निराधार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी (मृत्तक) की नियुक्ति राजकीय सेवा में दिनांक 01.11.1960 को हुई थी और पटवारी के पद पर अपीलार्थी (मृत्तक) को जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा लगाया गया। आदेश दिनांक 14.07.1995 द्वारा अपीलार्थी (मृत्तक) को पटवार परीक्षा से छूट प्रदान की गई थी। अपीलार्थी (मृत्तक) दिनांक 30.09.1995 को पटवारी के पद से सेवानिवृत्त हो गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलार्थी (मृत्तक) की मृत्यु दिनांक 13.07.2015 को हुई थी। जहां तक अपीलार्थी (मृत्तक) को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.01.1985, 29.03.1985 एवं 23.01.1989 के द्वारा 15 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एवं आदेश दिनांक 25.01.1992 के प्रावधानानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी (मृत्तक) के विधिक प्रतिनिधिगण (अपीलार्थीगण) इस आदेश के जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसकी सेवाओं की नियमानुसार सही गणना करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, नियमों एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी न्यायिक दृष्टान्तों को दृष्टिगत रखते हुए एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी (मृत्तक) के विधिक प्रतिनिधिगण (अपीलार्थीगण) को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)